न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 266/2020 आवन्टन निरस्त

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार माण्डलगढ जिला भीलवाडा

–प्रार्थी

बनाम

1. किशना पिता मांगू धाकड़ निवासी नवलपुरा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित –

1. राजकीय अभिभाषक – प्रार्थी की ओर से
2. विनोद आचार्य अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

निर्णय

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र दिनांक 05.11.2020 अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरूद्व विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम नवलपुरा पटवार हल्का कल्याणपुरा की आ.न. 408/278 रकबा 2.00 बीघा भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 10.10.2019 को दायर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा के आदेश कमांक 6641 दिनांक 30.06.2020 से पत्रावली इस न्यायालय में स्थानान्तरित करते हुये उभयपक्षकारान् को अपनी उपस्थिति न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 06.07.2020 को देने हेतु व्यक्तिशः अधिवक्ताओं को सूचित किया गया। प्रार्थना पत्र दिनांक 01.07.2020 को इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। विपक्षी की ओर से जवाब पेश किया गया।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी को ग्राम नवलपुरा पटवार हल्का कल्याणपुरा की आ.न. 408/278 रकबा 2.00 बीघा भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 10.05.1986 को आवंटन की

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति जिला कलक्टर

गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर शर्तों की उल्लंघना की है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की है।

विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि आवंटी ने आवंटन की सभी शर्तों की पालना कर मौके पर भूमि काश्त कर रहा हैं। उक्त आवंटित भूमि तालाब के भराव क्षैत्र में नही आती है। अप्रार्थी अनपढ़ है। आवंटी ने कई बार उक्त आवंटित भूमि को खातेदारी में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया परन्तु खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये। निवेदन हैं कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावे व विपक्षी को उक्त आराजी का खातेदार अधिकार दिये जाये।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया एवं उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि पटवार हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट में अंकित किया हैं कि ग्राम नवलपुरा के आ.न. 408/278 रकबा 2.00 बीघा भूमि मौके पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं हैं। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नही की गयी है। विपक्षी ने उक्त आराजी पर काश्त किये जाने के संबंध में कोई ठोस प्रमाण/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। उक्त विवेचन अनुसार आवंटी द्वारा राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) की पालना नहीं की जाना स्पष्ट होता हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) स्वीकार योग्य ठहरता हैं। अतएव–

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)बाबत् भू–आवंटन निरस्तीकरण का स्वीकार कर किशना पिता मांगू धाकड सा. देह के नाम आवंटित ग्राम नवलपुरा के आराजी नं. 408/278 रकबा 2.00 बीघा भूमि आवंटन दिनांक 10.05.1986 को को खारिज किया जाता हैं एवं तहसीलदार माण्डलगढ को निर्देश दिये जाते है कि ग्राम नवलपुरा की आ.न. 408/278 रकबा 2.00 बीघा भूमि को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डलगढ को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा